सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 232 राँची, सोमवार, 18 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 मई, 2026

संख्या-03/आरोप-11-61/2025-35979 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री हरिश चन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-521/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरूद्ध मौजा जुनबनी के खाता नं०-143, 142 एवं खाता नं०-156 अन्तर्गत कुल रकबा-15.98 एकड़ भूमि का बिना दखल कब्जा एवं स्थल जाँच किये आवेदक प्रकाश चन्द्र मुखर्जी के पक्ष में नामांतरण करने, जबकि मौजा जुनबनी के खाता नं०-143, प्लॉट नं०-749, रकबा-9.15ए० पूर्व में ही भू-हदबंदी अधिनियम के तहत् विभिन्न रैयतों को परवाना निर्गत किया गया है, से संबंधित आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक-1221/स्था०, दिनांक 08.11.2025 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री मुण्डा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. अतः श्री मुण्डा के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मुण्डा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री मुण्डा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री संजय सिन्हा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. श्री मुण्डा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री हरिश चन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से० एवं श्री संजय सिन्हा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	HARISH CHANDRA MUNDA JHK/JAS/251	श्री हरिश चन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-521/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 232 - 50